भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1599

उत्तर देने की तारीख 13.02.2025

पश्चिम बंगाल में पीवीटीजी की प्रगति

1599. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बीरहड़, लीधा और टोटो जनजातियों सहित लगभग 67,087 की संख्या वाली विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की आबादी है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार प्रधानमंत्री जनमन योजना के कार्यान्वयन में सक्रिय सहभागिता कर रही है;
(ग) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने इस योजना के लिए अपेक्षित राज्य की हिस्सेदारी पूरी की उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) पश्चिम बंगाल में पीवीटीजी हेतु प्रधानमंत्री जनमन के अंतर्गत अब तक क्या प्रगति हुई है;
(ङ) पश्चिम बंगाल में पीवीटीजी परिवारों को उक्त योजना के अंतर्गत पूर्ण रूप से शामिल करने के लिए निर्धारित विशिष्ट समय-सीमा का ब्यौरा क्या है; और
(च) पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जनमन योजना के कार्यान्वयन में सरकार को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और सरकार द्वारा इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (च): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासन/विभागों के माध्यम से पीएम गति शक्ति मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पीएम जनमन के तहत कवर किए गए गांवों और बस्तियों में रहने वाली पीवीटीजी आबादी को कवर करने के लिए पीवीटीजी आबादी के आंकड़ों और बुनियादी ढांचे के अंतरों का अनुमान लगाने के लिए बस्ती स्तर पर डेटा संग्रह का कार्य शुरू किया है। एकत्र किए गए डेटा (अक्टूबर 2024 में अद्यतन) के आधार पर, पश्चिम बंगाल राज्य में बीरहड़, लीधा और टोटो पीवीटीजी को कवर करते हुए जिले-वार पीवीटीजी आबादी को **अनुलग्नक-I** में सारणीबद्ध किया गया है। अभियान के उद्देश्यों को 9-लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। अभियान के तहत, जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से बहुउद्देश्यीय केंद्रों (एमपीसी) के उपाय को कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें राज्य सरकारों को 100% वित्तपोषण प्रदान किया जाता है। इस उपाय के संबंध में, बंगाल राज्य सरकार से एमपीसी के प्रस्तावों की प्रतीक्षा है। इसके अलावा, संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य में आवास (पीएमएवाई-जी), सड़क (पीएमजीएसवाई), आंगनवाड़ी और छात्रावास (समग्र शिक्षा) के उपायों के संबंध में अभियान के तहत कोई प्रगति नहीं देखी गई है। मिशन को 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय नियमित रूप से पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत गतिविधियों के कार्यान्वयन का मुद्दा उठाता रहा है।

अनुलग्नक-I

"पश्चिम बंगाल में पीवीटीजी की प्रगति" के संबंध में श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो द्वारा दिनांक 13.02.2025 को उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1599 के उत्तर के लिए भाग (क) से (च) में संदर्भित अनुलग्नक

पश्चिम बंगाल में जिले-वार पीवीटीजी जनसंख्या

ज़िला	पीवीटीजी जनसंख्या
अलीपुरदुवार	1427
झाड़ग्राम	22739
पश्चिम मेदिनीपुर	42862
पुरुलिया	403
कुल	**67431**

****